

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

पिस्ता मेघरिक पत्नी बद्दीनारायण

बनाम

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद,

नम्बर :- 104/2023

तहसीलदार

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
हक हुक्म
की तामील
में जारी
हुए

13.06.23

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प निमाज में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 LR Act. के तहत पेश किया। प्रार्थीगण का प्रा. पत्र क दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मौजा-निमाज I में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 1129/16 में प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि हैं। प्रार्थीगण की आराजी में सैग्रीगेशन के समय सहवन से तरमीम गलत दर्ज हो गई, वर्तमान मौका स्थिति अनुरूप तरमीम शुद्ध दर्ज किये जाने का निवेदन किया हैं।

प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प निमाज मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का निमाज I, भू. अ. निरीक्षक निमाज व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें ख.नं. ख.नं. 1129/16 खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। सैग्रीगेशन के समय सहवन से गलत तरमीम हो गई, पटवारी हल्का ने अपने जांच प्रतिवेदन में मौका स्थिति अनुरूप नजरी नक्शा प्रस्तुत किया, तरमीम मौके अनुरूप राजस्व नक्शे में दुरुस्ती किये जाने की अभिशंषा की हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक निमाज व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा-निमाज I पटवार हल्का निमाज I में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 1129/16 में अशुद्ध रूप से की गई तरमीम को दुरुस्ती किये जाने एवं तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ला पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।



(श्याम सुन्दर विश्वनाथ)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)